


न्यायालय उपखण्ड अधिकारी पदेन सहायक कलक्टर, कपासन जिला - चित्तौड़गढ़ (राजस्थान)  
 (पीठासीन अधिकारी, ग्रामीण सेवा शिविर 2025 कैम्प स्थल निम्बाहेडा)  
 धारा अर्न्तगत -136 लैण्ड रेवन्यू एक्ट प्र.स. 86/2025 दायर दिनांक 9/10/2025 निर्णय दिनांक 21/11/25

रिपोर्ट

ग्रामीण सेवा शिविर-2025



क.स.	नाम	खाता नम्बर			
1	इन्दरपुरा	47	<p>महोदय जी निवेदन है कि मुताबिक बैंक आदेश क्रमांक /2025-26/113 दिनांक 26/09/2023 एवं गजट नोटिफिकेशन दिनांक 07.04.2025 की पालना में बड़ौदा राज0 क्षे0 ग्रामीण बैंक का नाम बदलकर राजस्थान ग्रामीण बैंक किया जाना उचित है। मुल ही पत्रावली श्रीमान उपखण्ड अधिकारी महोदय कपासन को प्रेषित है।</p> <p>वर्तमान प्रविष्टी</p> <p>1.किशनलाल पिता दला सुथार सा. केसरखेडी खातेदार राहिन बड़ौदा राजस्थान क्षेत्रिय ग्रामीण बैंक शाखा कपासन</p>	<p>शुद्ध प्रविष्टी</p> <p>1. किशनलाल पिता दला सुथार सा. केसरखेडी खातेदार राहिन राजस्थान ग्रामीण बैंक शाखा कपासन</p>	<p>तहसीलदार कपासन की अनुशंषा स्वीकार की जाकर राज.भू. स. अधि:1956 की धारा 136 के अथयीन अनुसार राजस्व रिकार्ड में ग्राम इन्दरपुरा पटवार मण्डल केसरखेडी के खाता संख्या 47 में वर्तमान प्रविष्टी बड़ौदा राज0क्षे0 ग्रामीण बैंक को शुद्ध किया जाकर राजस्थान ग्रामीण बैंक राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद किये जाने का आदेश दिया जाता है।</p>
			<p>हस्ताक्षर पटवारी मय मोहर</p>	<p>हस्ताक्षर निरदावर मोहर</p>	<p>हस्ताक्षर तहसीलदार मय</p>

पटवार इन्दरपुरा  
 तहसील-कपासन  
 चित्तौड़गढ़ (राज)

तहसीलदार(भू.अ.) कपासन

सहायक कलक्टर  
 (उपखण्ड अधिकारी)  
 कपासन जिला-चित्तौड़गढ़